(6)

(23)

बिहार सरकार

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक–..........................

संख्या–8/आ0 (राज0 उ0)–2–41/2025–5817/दिनांक–31.07.2025 को कुर्म टोला, जलालपुर रोड, थाना–कुचायकोट, जिला–गोपालगंज में जाँच के क्रम में सैप जवान का इंसास राईफल लेकर एक मोटर साईकिल से भाग जाने, अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों पर नियंत्रण का पूर्णतः अभाव होने तथा प्रभावी पर्यवेक्षण/निरीक्षण नहीं किये जाने के कारण विभागीय पत्रांक–4814 दि0–19.08.2025 द्वारा श्री अमृतेश कुमार, अधीक्षक मद्यनिषेध, गोपालगंज से कारण पृच्छा की गयी जिसके आलोक में उनके पत्रांक–3479 दि0–26.08.2025 के द्वारा उनका स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ।

2 श्री अमृतेश कुमार, अधीक्षक मद्यनिषेध, गोपालगंज से प्राप्त स्पष्टीकरण की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि दिनांक–31.07.2025 को कुर्म टोला, जलालपुर रोड, थाना–कुचायकोट, जिला–गोपालगंज में जाँच के क्रम में सैप जवान का इंसास राईफल लेकर एक मोटर साईकिल से भाग जाने की घटना हुई थी जिसमें बलथरी चेक पोस्ट के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा कर्त्तव्य पालन में लापरवाही बरतने, प्रभावी रूप से पर्यवेक्षण व निरीक्षण नहीं करने तथा अपने कर्त्तव्यों का समुचित रूप से निर्वहन नहीं करने एवं विभागीय निदेश की अवहेलना करने का मामला परिलक्षित हुआ था। इस मामले में जाँचोपरांत श्री अमृतेश, अधीक्षक मद्यनिषेध, गोपालगंज के विरूद्ध अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मियों पर नियंत्रण का पूर्णतः अभाव होने तथा प्रभावी पर्यवेक्षण/निरीक्षण नहीं किये जाने का आरोप प्रतिवेदित किया गया था। स्पष्ट है कि अधीक्षक मद्यनिषेध, गोपालगंज के द्वारा समूचित रूप से मद्यनिषेध का प्रभावी पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण नहीं किया गया जिसके कारण जिले में इस तरह की घटना घटित हुई है जिससे परिलक्षित होता है कि उनका अपने अधिनस्थ पदाधिकारियों पर नियंत्रण का पूर्णतः अभाव है।

3. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षोपरांत यह भी पाया गया कि विभागीय स्तर पर आहुत की गयी विभिन्न बैठकों में भी विभाग द्वारा निदेश दिया गया था कि पूर्ण पारदर्शिता के साथ वाहनों की सघन जाँच एवं जब्ती में वृद्धि के साथ कार्यकलाप में सुधार लाया जाय। चेकपोस्ट पर चौबीसो घंटे प्रत्येक दिन वाहन जाँच अभियान चलाने एवं उपलब्ध संसाधनों ड्रोन/स्नीफर डॉग/हैन्ड हेल्ड स्कैनर आदि का समुचित उपयोग किया जाय। सभी अधीक्षक, सहायक आयुक्त एवं उपायुक्त को लगातार निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित करने का भी निदेश दिया गया है। दिनांक–12.08.2025 को आहुत विभागीय बैठक में भी बलथरी चेकपोस्ट के कार्यकलाप से विभाग द्वारा असंतोष व्यक्त करते हुए प्रतिवेदन की मांग की गयी थी तथा दिनांक–29.07.2025 को आयुक्त उत्पाद की अध्यक्षता में आहुत बैठक में श्री अमृतेश कुमार, अधीक्षक मद्यनिषेध, गोपालगंज को अवैध शराब तस्करी एवं भण्डारण को लेकर विशेष सक्रियता बरतने एवं आसूचना संग्रहण कर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया था। लगातार विभाग द्वारा उक्त निदेशों का अनुपालन करने का आदेश दिये जाने के उपरांत भी गोपालगंज जिला में अप्रिय घटना घटित हुई, जो अमृतेश कुमार, अधीक्षक मद्यनिषेध द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मियों

पर समुचित नियंत्रण नहीं रख पाना तथा उनके द्वारा प्रभावी पर्यवेक्षण/निरीक्षण नहीं किया जाना दर्शाता है। यह उनकी कार्य के प्रति लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता का परिचायक है जिसके कारण गोपालगंज जिले में छापामारी के क्रम में सैप जवान का इंसास राइफल छिने जाने संबंधी मामला हुआ हैं।

4. उक्त के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत सैप जवान का इंसास राइफल छीने जाने संबंधी मामले में अपने अधीनस्थ कर्मियों पर समुचित नियंत्रण नहीं रख पाने, प्रभावी नियंत्रण, पर्यवेक्षण/निरीक्षण नहीं किये जाने एवं विभागीय निदेशों का अनुपालन नहीं करने के कारण श्री अमृतेश कुमार, अधीक्षक मद्यनिषेध, गोपालगंज से प्राप्त स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत धाराओं के अधीन लघु दण्ड के रूप में निन्दन (आरोप वर्ष 2025) एवं असंचयी प्रभाव से 03 (तीन) वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–8/आ0 (राज0 उ0)–2–41/2025–................/ पटना, दिनांक–....................

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग, ई–गजट कोषांग को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–8/आ0 (राज0 उ0)–2–41/2025–............./ पटना, दिनांक–........................

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, बीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–8/आ0 (राज0 उ0)–2–41/2025–5817/ पटना, दिनांक–8.10.25

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद–सह–निबंधन महानिरीक्षक के आप्त सचिव/जिला पदाधिकारी, गोपालगंज/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गोपालगंज/संयुक्त आयुक्त मद्यनिषेध/उपायुक्त मद्यनिषेध, सारण प्रमंडल, छपरा/श्री अमृतेश कुमार, अधीक्षक मद्यनिषेध, गोपालगंज/राजपत्रित स्थापना, प्रशाखा–5 एवं विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/10/25

सरकार के संयुक्त सचिव